फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पकाराम बनाम समेला वगैरह

किस्म अपील ......225.आर.टी.एक्ट..

राजस्व अपील संख्या...46....सन..........2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.06.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 28/2022 बउनवान पकाराम बनाम समेला के कायम मुकाम ओबाराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 15.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा जालोर ए के वर्तमान खसरा नंबर 1631 रकबा 0.20 हैक्टेर, खसरा नंबर 1632 रकबा 0.55 हैक्टेर, खसरा नंबर 1489 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1490 रकबा 1.74 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जाने बाबत आदेशित किया गया है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 24.05.2023 को **पीठासीन अधिकारी महोदय कैम्प मे व्यस्त होने से इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 20.06.2023 को पेश हो।** की आदेशिका लिखी गई। किन्तु स्थगन के संबध मे किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे स्थगन आदेश पारित नहीं करने के कारण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी का बेचान करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा जालोर ए के वर्तमान खसरा नंबर 1631 रकबा 0.20 हैक्टेर, खसरा नंबर 1632 रकबा 0.55 हैक्टेर, खसरा नंबर 1489 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1490 रकबा 1.74 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की फोटोप्रति के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो की तलबी के नोटिस तलबाना जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 24.05.2023 को पेश होने बाबत अंकन किया गया है। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 24.05.2023 को **पीठासीन अधिकारी महोदय कैम्प मे व्यस्त होने से इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 20.06.2023 को पेश हो।** की आदेशिका लिखी गई। किन्तु स्थगन के संबध मे किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लंबित है, जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। किन्तु प्रकरण मे यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के संबध मे हक–हकूक तय होगे। किन्तु अगर इस दौरान वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी। अत उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा जालोर ए के वर्तमान खसरा नंबर 1631 रकबा 0.20 हैक्टेर, खसरा नंबर 1632 रकबा 0.55 हैक्टेर, खसरा नंबर 1489 रकबा 0.01 हैक्टेर, खसरा नंबर 1490 रकबा 1.74 हैक्टेर पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथारिथति बनाये रखे। तद्नुसार उपखंड अधिकारी जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष विचाराधीन राजस्व विविध मुकदमा संख्या 28/2022 बउनवान पकाराम बनाम समेला के कायम मुकाम ओबाराम वगैरह मे उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 03 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली